बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-6/निदे०-(थरुहट)-02-65/2018 - 166

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 26.03.18

विषयः- पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 में राज्य स्कीम से समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरुहट क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ₹10.00 लाख, सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण- ₹500.00 लाख तथा सहायक अनुदान गैर वेतन ₹2251.00 लाख अर्थात् कुल ₹2761.00 लाख (सताईस करोड़ एकसठ लाख) मात्र अनुदान के रूप में समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए चयनित योजनाओं के लिये व्यय करने की स्वीकृति ।

आदेशः-स्वीकृत।

2- बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता- कुल भारित व्यय की राशि राज्य योजना मांग संख्या-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0125-थरुहट क्षेत्र विकास-विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन-3105-सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण-3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन-विपत्र कोड- 44-.2225027960125 के अन्तर्गत विकलनीय होंगे।

3- इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वे अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4- योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन जिला स्तर पर गठित समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध राशि से थरुहट क्षेत्र के विकास हेतु योजनाओं का चयन समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किया जायेगा । जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-24 दिनांक-27.01.2018 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत बेतिया शहर में थरुहट क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 38 कमरा (तीन तल पर) कुल 152 बेड का छात्रावास एवं सम्पर्क पथ का निर्माण, एवं सहायक अनुदान गैर वेतन मद अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा थरुहट क्षेत्र में 4 निर्मित अनुसूचित जनजाति आवासीय विधालयों के फर्निशिंग कार्य एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के तहत Agriculture Sector-Mango Grower, Mashrum Grower, Beauty Wellness-Beauty Therapist, Electronics-DTHset up box installation & service Technician,Construction-Mobile phone hardware Repair technician,Mason Marble Granite & Stone,

Mason Tiling,Assistant Electrician,Capital Goods-Fitter Fabrication,Security Guard- Security Guard, Appairel-Hand Embroderer,HealthCare-GeneralDuty Assistant,Emergency Medical Technician Basic and Plumber संबंधी योजनाएँ ली जायेगी।

5– जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया से वित्तीय वर्ष 2017–18 में समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से थरुहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹2941.14 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट प्रावधान ₹2761.00 लाख है। योजनाओं की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि योजनाओं पर राशि का व्यय प्राथमिकता के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 मे बजट में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत ही की जायेगी।

6– *कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर तथा एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा।*

7– महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

8– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/4/98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

10– इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 6/निदे0–(थरुहट)–02–65/2018 के पृष्ठ– 21 /टि0 पर प्राप्ति के आलोक में दी जा रही है।

11– सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23.3.18

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0–(थरुहट)–02–65/2018 166 पटना, दिनांक– 26.03.18

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–6/निदे0–(थरुहट)–02–65/2018 – 166 पटना, दिनांक– 26.03.18

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क0), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (बेतिया)/जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ प्रशाखा पदा0 1 एवं 6 (डी0)/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.18

सरकार के सचिव।